

1/23

सामय पत्र उपस्थित नहीं है। पदरिक्त है।  
कार्य से बाहर है। पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 31.8.23 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

31/8/23

सामय पत्र उपस्थित नहीं है। पदरिक्त है।  
कार्य से बाहर है। पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 29.9.23 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

29/9/23

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा  
व्यापक कार्य समाप्त/बहिष्कार रखने  
से पत्रावली दिनांक 29/9 को पेश हो।

5-10-23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राणी उपस्थित, विपक्षीयों के  
सममन व्यक्ति हेतु रजिस्ट्रार एडि. प्राप्त हुई जिसे शा. पत्र  
खिंचे जाये। विपक्षीयों को कितनी बार एक एक कर आवाजे  
खिंचा जाये के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके लिए एक एक  
तरफा कार्यवाही खिंचे जाये के आदेश खिंचे जाते हैं वकील  
प्राणी का डा. पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रत्यक्ष से खिंचा  
जाकर शा. पत्र खिंचा गया। पत्रावली फिलाल कुमार होकर  
नवंबर से कम थे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला मालवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 71/23

1- श्री द्युलाराम ज/वही नन्दा दरोगा निवासी-कैरिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री गोरिशंकर ज/वही बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी-कैरिया तहसील (सुवर्णाकि प्रायगसतंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक 5/10-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 2981/1322 कुल किता 01 रकबा 0.1644 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.04.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर रवीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 2981/1322 कुल किता 01 रकबा 0.1644 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमस को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरण की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतफील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा